

~~दिनांक 27/06/2018~~

प्रकरण क्रमांक - R 1093 / II / 07

विधि - 3174/2018 ब्राह्मण/भू.रा

आवेदक - नागेश लखद वगैरह


बनात

अनावेदक - कैमल वगैरह

25  
विधि

श्री. ~~नागेश लखद~~  
द्वारा आज दि. 27/06/18  
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु  
दिनांक 28/06/18 नियत।

जज ऑफ कोर्ट  
राजस्व मंडल, नं. प्र. ग्वालियर



नं प्र० भू० रा० संकेत क्र० 32 के तहत  
निर्दिष्ट आदेश में दिनांक 27/06/18  
सुधारवाने कावत

पक्षी के आवेदन निम्नोक्त है।

(1) यह कि उपरोक्त प्रकरण माननीय कायलिय में विचारधीन था।  
जिसका निर्णय दिनांक 27/06/2018 थी।

(2) यह कि निर्णय दिनांक की तिथि सूची में सक्षि जंक्तिर है।  
परन्तु कम्प्युटर सॉफ्ट में निर्णय दिनांक अश्लक्ष है।  
जिसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने पर पक्षी को शार लुप्त।  
जिसकी सुधार हेतु माननीय के लक्ष्य आवेदन प्रस्तुत है।  
अस्तु निवेदन है कि पक्षी के आवेदन  
आवेदन स्वीकार कर निर्णय दिनांक में संशोधन करने  
की कृपा करे।

दिनांक - 24/07/18

द्वारा अधिवक्ता

(V.K. SHUKLA)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक विविध/3174/2018 जिला -शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/07/18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री व्ही0 के0 शुक्ला उपस्थित होकर आवेदन पत्र म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 1093-दो/07 में पारित आदेश दिनांक 27.6.16 में जो आदेश की प्रति कम्प्यूटर शाख में लोड की है उसमें आदेश पत्रिका में आदेश की तिथि पूर्ण नहीं आई है। अतः आवेदन स्वीकार कर निर्णित दिनांक में सुधार करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा पारित आदेश की तिथि दिनांक .6.16 के स्थान पर 27.6.16 पढ़ी जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी।</p>	<p>सदस्य</p>